

अंतिम नियम

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2024

फा. क्रमांक 1127/21-ब(एक)/2024, राज्य शासन माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक 643/2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 04.01.2024 को दिए गए निर्देशों के परिपालन में मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17 दिनांक 11/03/2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को निम्नानुसार सुविधाएं प्रदान करता है:-

1. गृह निर्माण अग्रिम :-

- (एक) न्यायिक सेवा के सदस्यों को केन्द्र सरकार के, गृह निर्माण अग्रिम नियम, 2017 (परिशिष्ट-1) के अनुसार गृह निर्माण अग्रिम उपलब्ध कराया जायेगा।
- (दो) न्यायिक अधिकारियों को, उक्त अग्रिम की राशि बने हुए मकानों को निजी व्यक्तियों से क्रय करने के लिए भी, राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से विहित सुरक्षा मानकों के अनुसार, उपलब्ध कराई जायेगी।

2. बालक शिक्षण भत्ता :-

- (1) प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को, शैक्षणिक सत्र 2019-20 से केन्द्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा अनुसार देय बालक शिक्षण भत्ता, (शैक्षणिक सत्र 2019-20 से), निम्नांकित शर्तों पर देय होगा:-
 - (क) अधिकतम दो बच्चों में से प्रत्येक के लिए कक्षा 12 तक रुपये 2250/- प्रतिमाह बालक शिक्षण भत्ता (Children Education Allowance) तथा रुपये 6750/- प्रतिमाह होस्टल सब्सिडी के रूप में देय होगा।
 - (ख) न्यायिक सेवा के सदस्यों के ऐसे बालकों हेतु, जिन्हें विशेष सहायता की आवश्यकता है, शैक्षणिक भत्ता कण्डिका (क) में वर्णित भत्ते का दोगुना देय होगा।
 - (ग) महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से अधिक हो जाने की स्थिति में बालक शिक्षण भत्ता तथा होस्टल सब्सिडी 25 प्रतिशत वृद्धि के साथ देय होगी।
 - (घ) यदि पति-पत्नी दोनों ही न्यायिक सेवा के सदस्य हैं, तो दोनों में से कोई एक ही बालक शिक्षण भत्ता तथा होस्टल सब्सिडी प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

3. समवर्ती प्रभार भत्ता :-

- (1) किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्य के साथ अन्य न्यायालय या न्यायालयों के समवर्ती प्रभार में 10 कार्य दिवस से अधिक अवधि तक कार्य किया जाता है, तो ऐसे अतिरिक्त प्रभार के लिए वह न्यायिक अधिकारी समवर्ती प्रभार भत्ता पाने का अधिकारी होगा।
- (2) समवर्ती प्रभार भत्ता उस न्यायालय के न्यायाधीश, जिनका अतिरिक्त प्रभार रहा है, के मूल वेतन के अधिकतम 10 प्रतिशत की दर से देय होगा।
- (3) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समवर्ती प्रभार भत्ता न्यायिक अधिकारी द्वारा समवर्ती प्रभार में व्यतीत कार्यदिवस तथा उस दौरान किये गए न्यायिक व प्रशासकीय कार्य के आधार पर वेतन के अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा तक निर्धारित किया जा सकेगा।
- (4) प्रथम न्यायिक वेतन आयोग द्वारा समवर्ती प्रभार भत्ते के संबंध में निर्धारित 'Appreciable Judicial Work' को विलोपित करते हुए न्यायिक कार्य के निष्पादन के संबंध में तत्संबंधी कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं किए जायेंगे।

4. यात्रा/परिवहन भत्ता :-

- (1) प्रथम न्यायिक वेतन आयोग द्वारा न्यायिक अधिकारियों को प्रदत्त पूल कार की सुविधा इस आदेश के प्रभावी होने के दिनांक से समाप्त की जाती है, फिर भी न्यायिक अधिकारी की वांछा पर परिवहन भत्ता का परित्याग कर पूल कार की सुविधा का चयन किए जाने की दशा में एक वर्ष या न्यायिक अधिकारी द्वारा पूल कार के उपयोग की अवधि तक उक्त सुविधा निरंतर प्रदान की जा सकेगी।
- (2) प्रत्येक न्यायिक अधिकारी, जिन्हें पूल कार उपलब्ध नहीं है, यदि वे स्वयं का चार पहिया वाहन धारित करते हैं तो उन्हें रख-रखाव और चालक के वेतन हेतु दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2020 तक रूपये 10000/- (दस हजार) प्रतिमाह तथा दिनांक 01.01.2021 से रूपये 13500/- (तेरह हजार पांच सौ) प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा।
परंतु, यदि न्यायिक अधिकारी को विभाग द्वारा वाहन चालक उपलब्ध कराया गया है, तब ऐसे न्यायिक अधिकारी को घटी हुई दर से परिवहन भत्ते के रूप में रूपये 4000/- (चार हजार) प्रतिमाह प्रदान किये जायेंगे।
- (3) उक्त परिवहन भत्ते के अतिरिक्त प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को, जिन्हें शासकीय वाहन प्राप्त नहीं है, शहरी क्षेत्र में 100 लीटर एवं अन्य क्षेत्र में 75 लीटर पेट्रोल/डीजल के मूल्य के समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी।
- (4) न्यायिक अधिकारी, जिन्हें शासकीय वाहन प्राप्त है, उन्हें प्रतिमाह वास्तविक खपत अनुसार ईंधन व्यय प्रदत्त किया जाएगा। शासकीय वाहन के लिये पेट्रोल/डीजल की मात्रा की गणना संबंधित अधिकारी द्वारा शासकीय कार्य के उपयोग हेतु दिये गए प्रमाण पत्र, जो भरे हुए लॉग बुक से समर्थित होगा, के आधार पर की जायेगी, ऐसे न्यायिक अधिकारी जो शासकीय वाहन का उपयोग कर रहे हैं उन्हें उक्त वाहन को 300 किलोमीटर प्रतिमाह तक निजी उपयोग करने की पात्रता भी होगी।

- (5) प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को अपने वाहन पर विंड स्क्रीन के बांयी ओर नीचे की तरफ मध्यम अक्षरों में प्रिंटेड 'Judge' का स्टीकर लगाने की पात्रता होगी।
- (6) राज्य सरकार द्वारा न्यायिक अधिकारी को कार खरीदने हेतु Soft Loan (सुलभ ऋण) के रूप में रूपये 1000000/- (दस लाख) तक नाममात्र की ब्याज दर पर उपलब्ध कराये जायेंगे।
5. **महंगाई भत्ता** :-प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त अनुसार महंगाई भत्ता देय होगा।
6. **अर्जित अवकाश नकदीकरण** :-
प्रत्येक न्यायिक अधिकारी निम्नलिखित सीमा तक अपने अर्जित अवकाश के नकदीकरण का अधिकारी होगा :-
- (1) (i) न्यायिक अधिकारी को उसकी सेवानिवृत्ति के समय अधिकतम 300 दिवस के अर्जित अवकाश के नकदीकरण की पात्रता होगी।
- (ii) 300 दिवस की गणना में न्यायिक अधिकारी के स्वत्व में शेष संपूर्ण अर्जित अवकाश एवं उसके अर्द्ध-वैतनिक अवकाश लेखे में शेष अर्द्ध-वैतनिक अवकाश में से इतने अर्द्ध-वैतनिक अवकाश जोड़े जायेंगे जिससे न्यायिक अधिकारी को 300 दिन के अर्जित अवकाश नकदीकरण का भुगतान किया जा सके।
- (2) (क) एलटीसी की सुविधा लेते समय अधिकतम 60 दिवस की सीमा के अध्याधीन रहते हुए 10 दिवस का अर्जित अवकाश प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
परंतु, उक्त सुविधा संपूर्ण सेवाकाल में 6 अवसर से अधिक और प्रत्येक अवसर पर 10 दिवस से अधिक नहीं होगी।
(ख) न्यायिक अधिकारी को प्रति 2 वर्ष के ब्लॉक में 30 दिवस का अर्जित अवकाश नकदीकरण प्राप्त करने का अधिकार होगा।
(ग) खण्ड ख तथा ग में दी गई सुविधा सेवानिवृत्ति के समय के 300 दिवस के अर्जित अवकाश नकदीकरण के अतिरिक्त होगी।

7. **विद्युत तथा जल प्रभार** :-

- (1) प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को दिनांक 01.01.2020 से उसके द्वारा उपभोग की गई विद्युत प्रभार और जल प्रभार की राशि के 50 प्रतिशत राशि का निम्नलिखित सीमा तक भुगतान किया जायेगा:-

क्रमांक	पदनाम	विद्युत यूनिट	जल यूनिट
1.	जिला न्यायाधीश	8000 यूनिट प्रतिवर्ष	420 किलो लीटर्स प्रतिवर्ष
2.	व्यवहार न्यायाधीश	6000 यूनिट प्रतिवर्ष	336 किलो लीटर्स प्रतिवर्ष

- (2) उक्त विद्युत और जल प्रभार व्यय की प्रतिपूर्ति न्यायिक सेवा के सदस्य द्वारा प्रभार शुल्क का प्रमाण प्रस्तुत करने पर त्रैमासिक रूप से की जायेगी।

8. उच्च अर्हता भत्ता :-

- (1) न्यायिक अधिकारी द्वारा उच्च शिक्षा अर्थात् विधि में स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट अर्थात् पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त किए जाने पर अग्रिम वेतनवृद्धियां मंजूर की जायेगी।
- (2) विधि में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने पर 3 अग्रिम वेतन वृद्धियां तथा यदि वह विधि में पीएचडी की उपाधि प्राप्त करता है तो एक अतिरिक्त अग्रिम वेतन वृद्धि मंजूर की जायेगी।
- (3) विधि स्नातकोत्तर उपाधि अथवा पीएचडी (विधि) के लिए मंजूर की गई अग्रिम वेतन वृद्धियां के अतिरिक्त भविष्य में किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर अथवा डाक्टरेट उपाधि प्राप्त करने पर कोई अग्रिम वेतन वृद्धि मंजूर नहीं की जायेगी।
- (4) उस न्यायिक अधिकारी को अग्रिम वेतन वृद्धि प्राप्त होगी, जिसने या तो नियुक्ति के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा में रहते हुए, कभी भी, स्नातकोत्तर उपाधि या डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की हो एवं चाहे ऐसी उच्च अर्हता नियमित अध्ययन (पूर्णकालिक या अंशकालिक) के माध्यम से अर्जित की हो या दूरस्थ अध्ययन कार्यक्रम के माध्यम से।
- (5) यदि अधिकारी ने सेवा में आने से पूर्व ही स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट उपाधि अर्जित कर ली है तो अग्रिम वेतन वृद्धि प्रारंभिक भर्ती की दिनांक से मंजूर की जाएगी और यदि सेवा में नियुक्ति पश्चात् स्नातकोत्तर या डाक्टरेट उपाधि प्राप्त की हो तो, उस दिनांक से मंजूर की जाएगी, जिस दिनांक को उसने वह उपाधि प्राप्त की है।
- (6) अग्रिम वेतन वृद्धियां एसीपी के स्तर तथा न्यायिक अधिकारी व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) से व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) और व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) से जिला न्यायाधीश संवर्ग में पदोन्नत होता है तो इस दशा में किसी भी स्तर पर उपलब्ध रहेंगी।
- (7) अग्रिम वेतन वृद्धियां जिला न्यायाधीश प्रवेश स्तर से जिला न्यायाधीश संवर्ग से जिला न्यायाधीश चयन श्रेणी और जिला न्यायाधीश चयन श्रेणी से जिला न्यायाधीश वरिष्ठ वेतनमान में उपलब्ध होगी।
- (8) व्यवहारिक प्रयोजनों के लिए अग्रिम वेतन वृद्धियां वेतन का भाग होंगी और उन पर महंगाई भत्ता भी देय होगा।

09. पहाड़ भत्ता/कठिन अवस्थिति भत्ता :-

- (1) न्यायिक अधिकारियों को पहाड़ी क्षेत्र/कठिन अवस्थिति में पदस्थापना के दौरान 5 हजार रुपये प्रतिमाह की दर से पहाड़ी क्षेत्र/कठिन अवस्थिति भत्ता प्रदाय किया जायेगा।
- (2) राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों को पहले से ही अनुज्ञेय प्रलाभकारी उपबंध न्यायिक अधिकारियों को उपलब्ध होंगे।
- (3) इस भत्ते के लिए पहाड़ क्षेत्र/कठिन अवस्थिति क्षेत्र को परिभाषित करने का अधिकार उच्च न्यायालय को होगा एवं उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किए गए क्षेत्र में उक्त भत्ता देय होगा।
- (4) उक्त भत्ता दिनांक 01.01.2016 से देय होगा।

10. गृह अर्दली/गृह सहायक भत्ता :-

- (1) प्रत्येक सेवारत न्यायिक अधिकारी को दिनांक 01.01.2020 से एवं सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी तथा पारिवारिक पेंशनर्स के लिए 01.01.2016 से निम्नांकित दर पर गृह अर्दली/गृह सहायक भत्ता प्रदान किया जायेगा;-
 - (क) प्रत्येक जिला न्यायाधीश को, एक अकुशल श्रमिक के लिए समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर या रूपये 10 हजार, इनमें से जो भी अधिक हो, प्रतिमाह देय होगा।
 - (ख) प्रत्येक व्यवहार न्यायाधीश को, एक अकुशल श्रमिक के लिए समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर का 60 प्रतिशत या रूपये 7500/-, इनमें से जो भी अधिक हो, प्रतिमाह देय होगा।
 - (ग) सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी के लिए 9000 हजार रूपये प्रतिमाह तथा पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले सदस्य के लिए 7500 रूपए प्रतिमाह देय होगा।
 - (घ) सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी एवं पारिवारिक पेंशनर्स के लिए उक्त सुविधा दिनांक 01.01.2016 से 5 वर्ष पूर्ण होने पर अर्थात् दिनांक 01.01.2021 से 30 प्रतिशत की वृद्धि के साथ देय होगी।
- (2) उक्त भत्ता न्यायिक अधिकारी/पेंशनर्स/परिवारिक पेंशनर्स के स्वप्रमाणन पर प्रदत्त किया जायेगा।
- (3) उक्त भत्ते का कोई भी प्रभाव न्यायिक अधिकारी को प्राप्त हो रहे या दिए जा रहे किसी ऐसे ऑफिस प्यून या ऑफिस अटेंडर या ग्रुप डी के ऐसे कर्मचारी, जो रात्रि ड्यूटी पर या जिला न्यायाधीश या उनके समकक्ष स्तर के अधिकारियों को उनके प्रशासनिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत प्रदत्त किए जाते हैं या सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा गार्ड के रूप में दिए जाते हैं, पर नहीं पड़ेगा।

11. गृह भाड़ा भत्ता तथा आवासीय मकान :-

- (क) आवासीय मकान-
 - (1) न्यायिक अधिकारियों को उनके पद ग्रहण करने की दिनांक से एक मास के भीतर शासकीय आवास या अधिगृहीत निजी आवास उपलब्ध कराया जायेगा।
 - (2) यदि न्यायिक अधिकारी को एक मास के भीतर शासकीय आवास या निजी आवास उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो न्यायिक अधिकारी निम्न शर्तों के अधीन निजी आवास किराए पर ले सकेगा,-
 - (क) यदि निजी आवास का किराया नीचे उल्लेखित किए गए अनुसार अनुज्ञेय गृह भाड़ा भत्ता की सीमा के अंदर है, तो किराया नियत करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, किन्तु संबंधित न्यायिक अधिकारी को यह प्रमाणित करना होगा कि वास्तविक किराया राशि का भुगतान किया जा रहा है।
 - (ख) यदि निजी आवास का किराया अनुज्ञेय गृह भाड़ा भत्ता से अधिक है, तो प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा पीडब्ल्यूडी (आर एण्ड बी) अधिकारियों की सहायता से किराया निर्धारित किया जायेगा।

- (ग) यदि अनुज्ञेय गृह भाड़ा भत्ता तथा निर्धारित किराये का अन्तर 15 प्रतिशत से अधिक है, और उक्त अधिकारी अंतर की रकम का भुगतान करने हेतु सहमत नहीं है, तो प्रधान जिला न्यायाधीश उक्त अन्तर राशि के भुगतान के संबंध में उच्च न्यायालय का अनुमोदन प्राप्त कर सकेगा।
- (3) जिला न्यायाधीश के लिए आवासीय किराए का न्यूनतम प्लिंथ एरिया 2500 स्क्वायर फीट तथा व्यवहार न्यायाधीश के लिए 2000 स्क्वायर फीट होगा तथापि उच्च न्यायालय प्रशासन के पास अधिक प्लिंथ एरिया के डिजाइन को स्वीकृत करने का विवेकाधिकार होगा।

(ख) गृह भाड़ा भत्ता :-

- (1) उन न्यायिक अधिकारियों, जिन्हें शासकीय आवास आवंटित किया गया है, को कोई गृह भाड़ा देय नहीं होगा।
- (2) न्यायिक अधिकारी, जो स्वयं के मकान में रह रहे हैं, जिसमें माता-पिता या पति/पत्नि का मकान सम्मिलित हैं, को भी उच्च न्यायालय से अपने घर में रहने के लिए अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् दिनांक 01.01.2016 से अनुशंसित गृह भाड़ा भत्ता प्रदाय किया जायेगा। ऐसे न्यायिक अधिकारी, जो पूर्व से ही किराए के आवास में रह रहे हैं, उक्त सीलिंग के भीतर अदा किए गए वास्तविक किराए की सीमा के अधीन रहते हुए दिनांक 01.01.2020 से अनुशंसित गृह भाड़ा भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।
- (3) ऐसे अधिकारी, जो गृह भाड़ा भत्ता (H.R.A.) प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं, के किराये का भुगतान प्रधान जिला न्यायाधीश या समकक्ष के कार्यालय द्वारा सीधे मकान मालिक को किया जायेगा।
- (4) समस्त न्यायिक अधिकारियों को सातवे वेतन आयोग की अनुशंसा पर भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 07.07.2017 के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता की दरें अनुज्ञेय होंगी, जो निम्नानुसार हैं:-
- X स्तर के शहर के लिए संबंधित न्यायाधीश के मूल वेतनमान का 24 प्रतिशत
- Y स्तर के शहर के लिए संबंधित न्यायाधीश के मूल वेतनमान का 16 प्रतिशत
- Z स्तर के शहर के लिए संबंधित न्यायाधीश के मूल वेतनमान का 8 प्रतिशत
- तथापि न्यूनतम विहित दरें क्रमशः 5400, 3600 और 1800 हैं और यह दरें महंगाई भत्ते में परिवर्तन के अनुसार निम्नानुसार परिवर्तित की जायेंगी-

शहरों का वर्गीकरण	मूल वेतन का प्रतिशत के रूप में प्रतिमाह गृह भाड़ा भत्ते की दरें	जब महंगाई भत्ता निम्नलिखित को पार कर जाए
X	27 प्रतिशत	25 प्रतिशत
	30 प्रतिशत	50 प्रतिशत
Y	18 प्रतिशत	25 प्रतिशत
	20 प्रतिशत	50 प्रतिशत
Z	9 प्रतिशत	25 प्रतिशत
	10 प्रतिशत	50 प्रतिशत

वर्तमान में Z प्रवर्ग अवर्गीकृत है और उच्च न्यायालय शहरों को विभिन्न वर्गों में प्रोन्नत और जोड़ने के लिए अधिकृत है।

(ग) फर्नीचर तथा एयर कंडीशनर भत्ता :-

- (1) प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को, उसके द्वारा क्रय का प्रमाण प्रस्तुत करने पर, प्रति 5 वर्ष में रुपये 1.25 लाख का फर्नीचर अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।
- (2) ऐसे अधिकारी, जिनकी सेवा 2 वर्ष से कम नहीं है, उनको भी उक्त भत्ते की पात्रता होगी।
- (3) प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को उसके द्वारा प्रयोग किए जा रहे फर्नीचर मूल्यह्रास दर पर क्रय करने का विकल्प नवीन अनुदान या सेवानिवृत्ति समय उपलब्ध होगा।
- (4) प्रत्येक न्यायिक अधिकारी के आवास पर प्रत्येक 5 वर्ष में फर्नीचर अनुदान के अतिरिक्त 1 एयर कंडीशनर भी उपलब्ध कराया जायेगा।
- (5) फर्नीचर तथा एयर कंडीशनर भत्ता न्यायिक अधिकारी को दिनांक 01.01.2016 से देय माना जाएगा एवं ऐसे न्यायिक अधिकारी, जिन्होंने आदेश प्रभावी होने और 01.01.2016 के मध्य कोई राशि प्राप्त कर ली है, उन्हें इस मध्य का एरियर प्रदान किया जाएगा।
- (6) इस अनुदान का उपयोग करते समय न्यायिक अधिकारी घरेलू विद्युत उपकरण (House hold Electrical Appliances) भी क्रय कर सकते हैं।

(घ) शासकीय आवास अनुरक्षण :-

उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा राज्य सरकार को न्यायिक अधिकारियों के शासकीय आवास अनुरक्षण हेतु प्रस्ताव भेजे जाने पर राज्य शासन प्रस्ताव प्राप्त होने के 2 माह के भीतर प्रत्येक प्रधान जिला न्यायाधीश को 10 लाख रुपये तक की राशि उपलब्ध करायेगा।

(ङ) विश्राम गृह/ ट्रांजिट एकोमेडेशन:-

राज्य शासन, उच्च न्यायालय के परामर्श से स्थान चिन्हित कर और आकार तथा सुविधाएं निश्चित कर, चरणबद्ध तरीके से विश्राम गृह/ट्रांजिट एकोमेडेशन का निर्माण करेगा। राज्य शासन 6 माह के अंतर्गत निर्माण के प्रथम चरण में वित्तीय आबंटन उपलब्ध कराने की कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

12. अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी)/गृह यात्रा रियायत (एचटीसी) :-

- (1) प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को सेवा में 2 वर्ष की पूर्णता पर और परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने पर एलटीसी प्राप्त करने की अनुज्ञा होगी।
- (2) न्यायिक अधिकारी को सेवा के अंतिम वर्ष में भी एलटीसी की सुविधा प्राप्त करने की पात्रता होगी।
- (3) एलटीसी की सुविधा का लाभ लेने के दौरान 10 दिवस के अर्जित अवकाश का भुगतान (अधिकतम 60 दिवस की सीमा के अध्यक्षीन रहते हुए) प्राप्त किया जा सकेगा। जो सेवानिवृत्ति के समय के 300 दिवस के भुगतान तथा 2 वर्ष के ब्लॉक में 30 दिवस के भुगतान के अतिरिक्त होगा।
- (4) न्यायिक अधिकारी को 3 वर्ष की ब्लॉक अवधि में 1 एलटीसी और 1 एचटीसी अनुज्ञात किया जा सकेगा।

- (5) नवनियुक्त न्यायाधीश की दशा में 3 वर्ष के प्रथम ब्लॉक में 2 बार एचटीसी प्राप्त करने की पात्रता होगी। तथापि 3 वर्ष का ब्लॉक परिवीक्षा के लिए विहित अवधि पूर्ण करने पर प्रारंभ होगा।
- (6) किसी भी श्रेणी के न्यायिक अधिकारियों को हवाई यात्रा अनुज्ञेय होगी और इस शर्त के अधीन रहते हुए प्रतिपूर्ति की जायेगी, कि उनके द्वारा टिकिट सीधे एयरलाइंस से या प्राधिकृत अभिकर्ताओं यथा अशोका ट्रेवल्स, बामर एण्ड लॉरी या आई.आर.सी.टी.सी. के माध्यम से क्रय किए गए हों।
- (7) अन्य ब्यौरे यथा यात्रा की श्रेणी, अग्रिम आदि से संबंधित प्रावधान केन्द्र सरकार के अधिकारियों को लागू नियमों/आदेश द्वारा तय किए जायेंगे।
- (8) न्यायिक अधिकारी अपनी सेवानिवृत्ति पर एल.टी.सी. की सुविधा को सेवानिवृत्ति दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए विस्तारित कर सकता है।
- (9) न्यायिक अधिकारियों से एलटीसी/एचटीसी प्रयोजन के लिए केवल अर्जित अवकाश लेने की अपेक्षा नहीं की जाएगी और उन्हें आगे और पीछे दो-दो दिवस तक का आकस्मिक अवकाश अनुज्ञात किया जा सकेगा।

13. चिकित्सा भत्ता/चिकित्सा सुविधाएं :-

- (1) प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को नियत चिकित्सा भत्ता निम्नानुसार देय होगा:-
 - (अ) सेवारत न्यायिक अधिकारी को रूपये 3000/- प्रतिमाह।
 - (ब) सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी एवं पारिवारिक पेंशन पाने वाले व्यक्ति को रूपये 4000/-प्रतिमाह।
 - (स) इस भत्ते की राशि दिनांक 01.01.2016 से देय होगी और ऐसे न्यायिक अधिकारी, जो दिनांक 01.01.2016 के पश्चात् राशि प्राप्त कर चुके हैं, उसे समायोजित कर उन्हें एकमुश्त एरियर दिनांक 01.01.2016 से इस आदेश के लागू होने की दिनांक तक का प्रदत्त किया जायेगा।
- (2) उपरोक्त नियत चिकित्सा भत्ते के अतिरिक्त प्रत्येक न्यायिक अधिकारी, जिसमें सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी एवं पारिवारिक पेंशन पाने वाला व्यक्ति भी सम्मिलित है, निम्नानुसार चिकित्सा सुविधाएं पाने का अधिकारी होगा:-
 - (क) न्यायिक अधिकारी जिसमें पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स सम्मिलित हैं, वे शासन द्वारा अधिसूचित/पंजीबद्ध निजी चिकित्सालयों/पेथोलॉजी लेब से परामर्श/उपचार के लिए अधिकारी होंगे और उन्हें प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर प्रतिपूर्ति की जायेगी। इस हेतु शासकीय अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी से रेफर/अनुशंसा की आवश्यकता नहीं होगी।
 - (ख) डी.जी.ई.एच.एस. अथवा सी.जी.एच.एस. द्वारा शासित न्यायिक अधिकारियों के संबंध में ऐसी विद्यमान प्रक्रिया, जो कि सरल और आसान हो, अपनाई जा सकेगी।
 - (ग) ऐसा अस्पताल, जहां न्यायिक अधिकारी/पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स भर्ती है अथवा भर्ती किया जाना है, की ओर क्रेडिट लेटर जारी किये जाने हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री (प्रधान जिला न्यायाधीश के मामले में) को अधिकृत किया जायेगा।

- (घ) पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स के लिये मेडिकल कार्ड, (परिशिष्ट-2 में दर्शित), प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा जारी किया जायेगा।
- (ङ) अन्तः रोगी के उपचार में उपगत व्यय या गंभीर बीमारी, जिसमें कम या ज्यादा निरन्तर उपचार आवश्यक है, के उपचार के संबंध में उपगत व्यय, संबंधित प्रधान जिला न्यायाधीश या उसी श्रेणी के प्राधिकृत अधिकारी या जैसा मामला हो उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा संसाधित (Processed) और स्वीकृत किया जायेगा।
- (च) आकस्मिक/आपद स्थिति में सेवारत्, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी व पारिवारिक पेंशनर्स किसी भी निकटवर्ती निजी अस्पताल में उपचार करवा कर सामान्य प्रक्रिया में प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं, यह आवश्यक नहीं कि उक्त अस्पताल शासन द्वारा अधिसूचित अस्पताल हो। आवश्यकता पड़ने पर इस उद्देश्य के लिए क्रेडिट लेटर भी जारी किया जा सकेगा।
- (छ) मान्यता प्राप्त/सूचीबद्ध अस्पताल द्वारा दिया गया प्राक्कलित व्यय (Estimate) प्रस्तुत करने पर प्रधान जिला न्यायाधीश या उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा प्राधिकृत समतुल्य रैंक के जिला न्यायाधीश द्वारा प्रारंभिक संवीक्षा (Scrutiny) के अधीन रहते हुए 80 प्रतिशत तक अग्रिम मंजूर किया जा सकेगा। शेष राशि की प्रतिपूर्ति पदाभिहित सिविल सर्जन या चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाओं के अधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा प्रमाणित किये जाने पर की जायेगी। यदि किसी विशेष मद में शासन द्वारा अनुमोदित दरें उपलब्ध नहीं हैं, तो संबंधित अस्पताल द्वारा मान्य दरों के अनुसार प्रमाणन अधिकारी द्वारा दर अनुमोदित की जायेगी।

परंतु इस संदर्भ में बिलों को विशेष परिस्थिति में ही अस्वीकार किया जायेगा और यदि बिल अस्वीकार किये जाते हैं तो संबंधित प्रमाणन अधिकारी ऐसी अस्वीकृति का कारण प्रकट करेगा। पदाभिहित सिविल सर्जन/संचालनालय के अधिकारी की संवीक्षा (Scrutiny) के लिए जिला न्यायाधीश द्वारा भेजे गए देयकों को प्राप्ति दिनांक से 1 माह की अधिकतम समयावधि के भीतर पास किया जायेगा।

- (ज) सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों और पारिवारिक पेंशनर्स, जो किसी अन्य राज्य में निवासरत् हैं, को उस राज्य से चिकित्सा प्रतिपूर्ति/ अग्रिम के दावे करने की सुविधा होगी जहां से वे पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।
- (झ) प्रवास (शासकीय या निजी) पर किसी अन्य राज्य में गये सेवारत अधिकारी या सेवानिवृत्ति के बाद अन्य राज्य में निवासरत अधिकारी द्वारा आपद या अन्यथा परिस्थिति में उस राज्य के किसी शासकीय/ शासन द्वारा अधिसूचित/मान्यता प्राप्त अस्पताल या पैथोलॉजिकल लैब में कराये गये उपचार के व्यय, जिसमें रूम चार्ज व जांच का व्यय भी सम्मिलित है, की प्रतिपूर्ति की जायेगी चाहे वह अस्पताल/ लैब उस राज्य में मान्यता प्राप्त नहीं है जहां अधिकारी सेवारत् है अथवा सेवारत् रहा था।

- (3) उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री यह परीक्षण करेगी कि अधिसूचित/सूचीबद्ध अस्पताल न्यायिक अधिकारियों जिसमें सेवानिवृत्ति अधिकारी/पारिवारिक पेंशनर्स सम्मिलित हैं, की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त हैं और आवश्यक होने पर सरकार को अतिरिक्त अस्पतालों/पेथोलॉजिकल लैब को अधिसूचित करने के लिए प्रस्ताव भेजेगी।
- (4) उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री उपचार देयकों के भुगतान में विलम्ब से बचने के लिए अतिरिक्त राशि आवंटन हेतु त्वरित प्रस्ताव शासन को भेजेगी तथा शासन का वित्त विभाग तत्काल कार्यवाही करते हुए उच्च न्यायालय को राशि उपलब्ध करायेगा।

14. समाचार पत्र एवं पत्रिका भत्ता :-

- (1) प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को दिनांक 01.01.2020 से समाचार पत्र और पत्रिका भत्ता निम्नांकित सीमा तक देय होगा:-
 - (क) जिला न्यायाधीश को समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं (2 समाचार पत्र और 2 पत्रिकाओं) के लिए रुपये 1 हजार तक तथा व्यवहार न्यायाधीश को (2 समाचार पत्र और 1 पत्रिका) रुपये 700 प्रतिमाह की दर से प्रतिपूर्ति की जायेगी।
 - (ख) न्यायिक अधिकारी को उक्त भत्ते की प्रतिपूर्ति स्वयं द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के आधार पर छःमाही आधार पर जनवरी से जून तथा जुलाई से दिसम्बर तक के लिए की जायेगी।
- (2) न्यायिक अधिकारी द्वारा दिनांक 01.01.2020 के पश्चात् एवं इस आदेश के प्रभावी होने के पूर्व यदि उक्त भत्ता प्राप्त किया गया है, तो उसे समायोजित कर अंतर राशि का भुगतान एरियर के रूप में किया जायेगा।

15. गणवेश भत्ता :-

- (1) प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को दिनांक 01.01.2016 से प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार रुपये 12 हजार गणवेश भत्ता के रूप में देय होगा।
- (2) न्यायिक अधिकारी द्वारा दिनांक 01.01.2016 के पश्चात् एवं इस आदेश के प्रभावी होने के पूर्व यदि गणवेश भत्ता प्राप्त किया गया है, तो उसे समायोजित कर अंतर राशि का भुगतान एरियर के रूप में किया जायेगा।

16. प्रशासनिक कार्य के लिए विशेष भत्ता :-

- (1) न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रशासनिक कर्तव्य किए जाने पर उसे विशेष प्रशासनिक भत्ता दिनांक 01.01.2019 से निम्नांकित रूप से देय होगा:-
 - (क) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को रुपये 7000 प्रतिमाह;
 - (ख) अन्य जिला न्यायाधीश, जिसमें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सम्मिलित है, जिन्हें न्यायालय कार्य अवधि के अतिरिक्त प्रशासनिक कार्य करना पड़ता है, को रुपये 3500 प्रतिमाह;
 - (ग) विशेष न्यायालयों और अधिकरणों में स्वतंत्र रूप से प्रशासनिक दायित्व निभाने वाले जिला न्यायाधीश को रुपये 3500 प्रतिमाह;
 - (घ) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ और कनिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश और अन्य न्यायिक अधिकारी, जिनके पास स्वतंत्र न्यायालयों के प्रभार के साथ प्रशासनिक दायित्व भी है, रुपये 2000 प्रतिमाह।

17. अतिथि सत्कार भत्ता :-

- (1) प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को दिनांक 01.01.2016 से निम्नांकित दरों पर अतिथि सत्कार भत्ता प्रदान किया जायेगा:-
जिला न्यायाधीश को रूपये 7800 प्रतिमाह;
व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) को रूपये 5800 प्रतिमाह;
व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) को रूपये 3800 प्रतिमाह;
- (2) उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रवर्गों के न्यायिक अधिकारी को उनके स्तर या उनके द्वारा निष्पादित किये गए अतिरिक्त उत्तरदायित्व के लिए रूपये 1000 अतिरिक्त प्रदान किया जायेगा:-
(क) जिला/नगरों में प्रशासन का प्रभार संभाल रहे प्रधान जिला न्यायाधीश;
(ख) सिलेक्शन ग्रेड और सुपरटाईम स्केल के जिला न्यायाधीश;
(ग) न्यायिक एकेडमी/न्यायिक प्रशिक्षण संस्थान के निर्देशक/राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव।
(घ) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट।
- (3) सेवानिवृत्ति के पश्चात् न्यायिक अधिकारी को उक्त भत्ता प्राप्त नहीं होगा।

18. दूरभाष सुविधा :-

प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को दिनांक 01.01.2016 से आवासीय टेलीफोन, मोबाइल फोन व कार्यालयीन टेलीफोन व इंटरनेट सुविधा निम्नांकित दर से प्राप्त होंगी:-

- (1) आवासीय टेलीफोन (लैण्डलाइन)
(क) न्यायिक अधिकारियों को उनके आवास पर एक ही सेवा प्रदाता या विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा लैंडलाइन टेलीफोन और ब्रॉडबैंड सुविधा निम्नानुसार उपलब्ध होगी:-
जिला न्यायाधीश - रूपये 1500 प्रतिमाह
व्यवहार न्यायाधीश - रूपये 1000 प्रतिमाह
जिसमें किराया, कॉल्स (लोकल तथा एसटीडी दोनों) तथा इंटरनेट सम्मिलित हैं।
(ख) उन सभी स्थानों पर, जहां पर ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां पर निम्नानुसार स्वीकृत किया जायेगा:-
जिला न्यायाधीश - रूपये 1000 प्रतिमाह
व्यवहार न्यायाधीश - रूपये 750 प्रतिमाह
जिसमें किराया तथा कॉल्स (लोकल तथा एसटीडी दोनों) सम्मिलित हैं।
- (2) मोबाईल फोन
(क) निम्नानुसार इंटरनेट के साथ मोबाईल फोन (हैंडसेट) दिया जाएगा:-
जिला न्यायाधीश - रूपये 30000/-
व्यवहार न्यायाधीश - रूपये 20000/-
(कनिष्ठ और वरिष्ठ खण्ड)

तथा अनुज्ञेय उपयोग निम्नानुसार होगा:-

जिला न्यायाधीश - रूपये 2000 प्रतिमाह

व्यवहार न्यायाधीश - रूपये 1500 प्रतिमाह

इसमें इंटरनेट डाटा पैकेज सम्मिलित होगा।

- (ख) न्यायिक अधिकारी के अनुरोध पर 3 वर्ष में एक बार मोबाइल हैंडसेट बदला जायेगा।
- (ग) न्यायिक अधिकारी को, उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा जारी किये गए दिशा निर्देश के अनुसार निर्धारित मूल्य पर पुराना मोबाइल हैंडसेट रखने का विकल्प, नवीन अनुदान या सेवानिवृत्ति के समय दिया जायेगा।
- (3) **कार्यालयीन दूरभाष**
कार्यालय में दूरभाष के संबंध में वर्तमान प्रचलित व्यवस्था लागू रहेगी।

19. स्थानांतरण अनुदान :-

- (1) प्रत्येक न्यायिक अधिकारी का स्थानांतरण होने पर वह एक माह के मूल वेतन के बराबर स्थानांतरण अनुदान पाने का अधिकारी होगा:
परंतु यदि किसी न्यायिक अधिकारी का स्थानांतरण ऐसे स्थान पर हुआ हो, जो उसके मुख्यालय से 20 किलोमीटर या उससे कम की दूरी पर है या उसी स्थान पर है, परंतु उसे गृह निवास परिवर्तित करना पड़ रहा है, तो वह अपने मूल वेतन का एक तिहाई भाग पाने का अधिकारी होगा।
- (2) न्यायिक अधिकारी का स्थानांतरण इस प्रकार होता है कि वह सड़क के माध्यम से अपना सकल घरेलू सामान ले जाता है, तो उसे 50 रूपये प्रति किलोमीटर की दर से, जिसमें सामान चढ़ाने-उतारने का वास्तविक लेबर चार्ज भी सम्मिलित है, प्रदत्त किया जायेगा।
- (3) कमांक (2) में दर्शित राशि, मंहगाई भत्ता 50 प्रतिशत होने पर 25 प्रतिशत वृद्धि के साथ भुगतान योग्य होगी।
- (4) यह भत्ता दिनांक 01.01.2016 से लागू होगा।
- (5) इस आदेश के लागू होने के पूर्व दिनांक 01.01.2016 के बाद से यदि किसी न्यायिक अधिकारी को पुरानी दरों पर स्थानांतरण अनुदान प्राप्त हुआ है, तो वह अंतर की राशि एरियर के रूप में पाने का अधिकारी होगा।

प्रवर्तन एवं सेविंग क्लॉज

यह आदेश ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य रिट पिटिशन सिविल 643/2015 में पारित निर्णय दिनांक 04.01.2024 के अनुक्रम में जारी किया जा रहा है। अतः आदेश में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता होने की स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा परित निर्णय का अनुसरण कर मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकेगा।

यह आदेश, उन सभी न्यायिक अधिकारियों, जो प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं, पर उसी प्रकार लागू होगा, जैसे कि यदि वे न्यायिक सेवा में होते तो उन पर लागू होता। प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ न्यायिक अधिकारी को यदि प्रतिनियुक्ति पर इस आदेश के अतिरिक्त यदि कोई भत्ता या सुविधा प्राप्त होती है, तो वह इस आदेश के अतिरिक्त मानी जायेगी और उन अतिरिक्त सुविधाओं पर इस आदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इस आदेश में जहां उनके प्रभावी होने की कोई अन्य तिथि उल्लेखित न हो, वहां संबंधित भत्ते दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी माने जायेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

उमेश पाण्डव, सचिव.